भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5166
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

प्रतिबंधित वेबसाइटें

5166. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से अब तक भारत में प्रतिबंधित वेबसाइटों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55,605 से अधिक वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संविधान में प्रदान वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)से**(घ):**सरकारकीनीतियोंकाउद्देश्यअपनेप्रयोक्ताओंकेलिएएकसुरक्षित, विश्वसनीयऔरजवाबदेहइंटरनेटसुनिश्चितकरनाहैऔरसाथहीयहसुनिश्चितकरनाहैकिइंटरनेटकिसीभीप्रकार कीगैरकानूनीसामग्रीयाजानकारीसे मुक्तरहे।सूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 औरउसकेतहतबनाएगएनियमोंमेंऑनलाइनसंसाधनोंतकअभिगम कोअक्षमकरनेकेलिएकानूनीढांचेकाप्रावधानहै।
आईटीअधिनियमऔरइसकेनियमोंकेप्रावधानोंकेसंदर्भमेंउपयुक्तसरकारेंऑनलाइनसंसाधनोंतकअभिगम कोअवरुद्धकरनेकेलिएमध्यस्थोंकोनोटिसजारीकरनेहेतु अधिकृतहैं।

****